उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-13/2017/1519/78-2-2017-22आई.टी./2017
लखनऊः दिनांकः 28 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय बजट में डिजिगांव योजना को मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है उक्त योजना का क्रियान्वयन देश के 30 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 1050 ग्राम पंचायतों में किया जायेगा। उक्त के क्रम योजना के पायलट संस्करण के क्रियान्वयन हेतु जनपद लखनऊ में माल के 39 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। डिजिगांव येाजना के माध्यम से आम जनमानस को टेलीमेडिसिन टेलीएज्यूकेशन एलईडी स्ट्रीट-लाइट एलईडी डैसबोर्ड वाई फाई हाट स्पॉट एवं कौशल विकास संबंधी सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त योजना से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों/कार्यकलापों को निर्धारित करने तथा उनमें समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों समस्याओं आदि के त्वरित निराकरण एवं योजना की प्रगति-अनुश्रवण व समीक्षा आदि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एतद्द्वारा राज्य स्तरीय समिति का निम्नवत गठन किया जाता है:-

1	**मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन**	**अध्यक्ष**
2.	**अपर मुख्य सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
2.	**अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
3.	**अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
4.	**अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
5.	**अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
6.	**अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
7.	**प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
8.	**राज्य समन्वयक सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स**	**सदस्य सचिव**
9.	**एसआईओ एनआईस**	**सदस्य**
10.	**हेड एसईएमटी**	**सदस्य**

उपरोक्तानुसार गठित समिति की डिजिगांव के संचालन अनुश्रवण एवं तत्सम्बंधी विषयों पर समय-समय बैठक आयोजित की जायेगी।

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या-13/2017/1519(1)/78-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव अपर मुख्य सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन
3. संबंधित सदस्य/अधिकारीगण।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।